<u>कोर्स रिपोर्ट</u>

इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंस

राजस्थान पुलिस अकादमी में 'इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंस' विषय पर दिनांक 13.02.2017 से 17.02.2017 तक प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया गया।

Sitting Row L to R = Rekha Meena, Muneshi Meena, Ram Nath Singh, Vivek Singh Rao, Jagdish Poonia Dy.S.P, **Rajeev Dasot, IPS (Addl DGP Cum Director)**, Rajendra Singh, Rameshwar Chouhan, Vimla Choudhary, Dr.Geeta Bishnoi, Kalpana

Ist Row L to R = Harish Choudhay, Budha Ram Bishnoi, Banwari Lal, Kamal Chand Meena, Gahari Lal Gurjar, Lal Singh Yadav, Ummedi Lal Meena, Vishnu Singh, Ganga Sahay Meena, Rohit Kumar, Jaikishan Phulwaria, vedpal Shivran, Purushottsm Maheria

IInd Row L to R = Anand Mishra, Brijesh Jatawat, Paramjeet Singh, Mahesh Singh, Bhawani Singh, Pawan Kumar, Narendra Singh, Niranjan Kumar Meena, Ramesh Katara, Dinesh Kumar, Khema Ram Bijarnia, Pradeep Bithu, Hanuman Lal Jat

इस कोर्स में सहायक उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक स्तर के 34 अधिकारियों ने भाग लिया। कोर्स डायरेक्टर श्री जगदीश पूनियाँ, पुलिस उप अधीक्षक ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरूआत की। कोर्स के दौरान श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के वित्तीय अनुसंधान के बारे में जानकारी दी। श्रीमती ज्योति शर्मा, डिप्टी मैनेजर, सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट की बुनियादी अवधारणा के बारे में बताया। श्री एम.एम.अत्रे, महानिरीक्षक

पुलिस (सेवानिवृत्त) ने आर्थिक अपराधों से संबंधित विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के बारे में बताया।

श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने डिजीटल एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के संग्रहण के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सुमन राव, एपीपी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने गंभीर आर्थिक अपराधों में न्यायालय में विचारण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया । प्रतिभागियों को भूमि संबंधी अपराधों में अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में अनुभव साझा करने के लिए श्री आर.एस. बत्रा, (सेवानिवृत्त) आर.ए.एस. अधिकारी को आमंत्रित किया गया। श्री मिलींद अग्रवाल, साईबर विशेषज्ञ ने इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले आर्थिक अपराधों, बैंकिग एवं वित्तीय अपराधों के अनुसंधान के बारे में बताया। श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मोबाईल फोन व इन्टरनेट के उपयोग से आर्थिक अपराधों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्रित करने एवं इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान के दौरान ध्यान देने योग्य बातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कोर्स के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्री डी.सी. जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(सतर्कता), राजस्थान, जयपुर को आमंत्रित किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं आय से अधिक सम्पति के मामलों में अनुसंधान के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। सत्र के अन्त में उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये।